<u>उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर</u>

// <u>आदेश</u> //

क्रमांक C/3424/ जबलपुर, दिनांक 24/07/2018

1. श्री काशी प्रसाद वर्मा सेवानिवृत्त रिकार्ड सप्लायर,
2. श्री [illegible] कुमार कटिया, सेवानिवृत्त जमादार,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के भृत्य के पद के विरूद्ध 6 माह की अवधि के लिए अथवा भृत्य के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी–3–12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011 के कंडिका 8 में निहित निम्न शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
2. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होंगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होंगी।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/अधिपत्य की पात्रता नहीं होंगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
6. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होंगी।
7. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होंगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
9. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

23.7.18

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 3[illegible]/ जबलपुर, दिनांक [illegible]/07/2018

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2 एवं 3/डी. ई./आई.एल./ई/पी.पी.एस./एक्जाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु,

2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. ओ.एस.डी. (सैट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ...... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
9. अनुभाग अधिकारी लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/न्यायिक/(परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. श्री काशी प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. श्री सुरेश कुमार कतिया, सेवानिवृत्त जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

20.7.18

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)